

कार्यालय

राजिब प्रविधिक विद्या पीठ, राय

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- राजिब/पीठ संशोधन/2022/10770

दिनांक- 15/12/2022

कार्यालय भाग-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राजिब कार्यालय और इतिहास, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक संशोधन 2022-23 हेतु विदेशीय कार्य तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य के अंतर्गत राजिब प्रविधिक विद्या पीठ, राय 3000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को पीठ संशोधन में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा संशोधन 2022-23 हेतु आवेदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व में संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/पाठ्यक्रम प्रवेश प्रदान करने के लिए समिति को सूचित किया गया था। संशोधन 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान करने के लिए समिति को सूचित किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार नई संस्थाओं को सम्बद्धता पर आवश्यक पीसीआईएडों द्वारा अनुमोदन प्रवेश प्रदान के अनुसार प्रेषित कर दिया गया था।

पीसीआईएडों के पर संपर्क संख्या 14-443/2022-PCIA(Approval Process 2022-2023)/14705-09 दिनांक 03 अक्टूबर 2022 में किए गए निर्देशों के अंतर्गत संस्थाओं से पूर्व में दस्तावेजों के निरीक्षण का विचार एचओआईएडों पर आदेशित करने हेतु निर्देशित प्रमाण पर ध्यान देकर दस्तावेजों के लिए नए निर्देशों के अनुसार नई संस्थाओं के साथ-साथ ध्यान देकर प्रवेश प्रदान की नई प्रवेश प्रदान की सम्बद्धता प्रदान करने के साथ प्रदान की जाती है कि अधिक नई संस्था के निरीक्षण के समय एचओआईएडों का सहयोग करवाया होगा।

संस्था का कोड एवं नाम : 4005-PRABHAKAR COLLEGE OF PHARMACY			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईएडों द्वारा संशोधन 2022-23 हेतु अनुमोदन प्रवेश प्रदान	पीठ द्वारा संशोधन 23 हेतु प्रदान संयोजित प्रवेश प्रदान
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एचओआईएडों/पीसीआईएडों द्वारा निर्देशित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश राजिब प्रविधिक विद्या पीठ एचए 1962 तथा राजिब प्रविधिक विद्या पीठ विनियमन 1992, विनियमन 2000, सेक्टर विनियमन 2016 तथा संस्था-संस्था पर निर्भर वास्तविकता का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क और सभी इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश प्रदान करने में प्रयोग किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रवेश प्रदान करने में शुल्क के सम्बन्ध में संस्था-संस्था पर निर्भर प्रदान निर्देशित करने वाले वास्तविकता प्रभावी होंगे, और अनुसूचित कार्यवाही किया जाएगा आवश्यक होगा। पीठ निर्देशित समिति द्वारा नई संशोधन 2022-23 हेतु पीठ का पूर्णतः पालन किया जाता है, जो पीठ की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- ✓ संस्था में समूह प्रवेश पीठ पीठ द्वारा आवेदन करने की शर्तों का पालन करेगा।
- ✓ संस्था को संस्था-संस्था पर निर्भर वास्तविकता के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाने वाले विधि-नियमों/अधिनियमों/संशोधनों/निर्देशों एवं निर्देशों, राजिब प्रविधिक विद्या, 3000, समूह प्रवेश पीठ पीठ, 3000 तथा राजिब प्रविधिक विद्या पीठ, 3000 द्वारा बनाने वाले नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये सज्ज होगी।
- ✓ यदि संस्थाओं का एचओआईएडों/पीसीआईएडों से अनुमोदन विचार किया जाता है तो प्रवेश प्रदान में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था सज्ज उत्तरदायी होगी। राजिब प्रविधिक विद्या पीठ, समूह प्रवेश पीठ पीठ, राजिब प्रविधिक विद्या निदेशों एवं राजिब प्रविधिक विद्या निदेशों उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई वाद प्रदान किया जाता है तथा प्रदान वाद के संबंध में या, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्देशित किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करेगी होगी।
- ✓ संस्थाओं को समूह प्रवेश पीठ पीठ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश प्रदान करने के लिए आवेदनित प्रवेश प्रदान हेतु कार्यालय प्रदान होने के पूर्व एचओआईएडों/पीसीआईएडों से अनुमोदन प्रदान कर पीठ कार्यालय को उपलब्ध करवाया होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कार्यालय) के सम्बन्ध में प्रवेश प्रदान के अन्तर्गत/पीठ प्रवेश/अनुमोदन प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश प्रदान हेतु संस्था-संस्था पर निर्भर वास्तविकता आदेशों निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सुचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक चित्र, भूमि, धारा, सजा-सजा, उपकरण, प्रदान किया जाने वाला शुल्क, आवश्यक शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करवाया होगा।
- ✓ संस्था को विद्या-निरीक्षण हेतु उपलब्ध वास्तविकता उपलब्ध करने के साथ निरीक्षण करने के सम्बन्ध में संस्था आवश्यक वास्तविकता सुनिश्चित करेगी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि संस्था में प्रवेशित/संयोजित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के साथ उपलब्ध कराने वाले अधिपति, बुकिंग-धारा, कार्यवाही, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संयोजन में प्रदान किया जाता है और पीठ को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपलब्ध संस्था की सम्बद्धता सकारण करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के अधिक सशक्त निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भ्रम, भ्रष्ट, प्रवेश-प्रदान, उपकरण एवं अन्य सजा-सजा एचओआईएडों/पीसीआईएडों/पीठ के सम्बन्धित उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता सकारण कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न करने अथवा शर्तों का उल्लंघन करने के लिये नई संस्थाओं में निवेश/संस्था अनुसंधान/संस्था कार्यवाही की जाएगी।


(एचओआईएड का नाम)

राजिब

एचओ- राजिब/पीठ संशोधन/2022/10771-11058

15/12/2022

प्राचार्य/निदेशक, PRABHAKAR COLLEGE OF PHARMACY


(एचओआईएड का नाम)

राजिब

